

27/23

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/24 को पेश हो।

29/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/24 को पेश हो।

29/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/5/24 को पेश हो।

28/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/7/24 को पेश हो।

30/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील की अनुपस्थिति कारण अदालत लावाणी नहीं। अदालत लावाने के उपरांत भी वकील की अदालत को कोई उपस्थित नहीं किया जाता। वकील का अडफा इस हद तक है कि इस पेशवा में खादीज किया जाता है पत्रावली पेश होने के बाद ही अदालत शुरू होकर दायित्व है।

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी

